(329)

		(ग) सार्वजनिक नहर, जल मार्ग, कुँआ, तालाब, टैंक (सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई टैंक को छोड़कर) सार्वजनिक झरना, जलाशय, टैंक, फव्वारा कृत्रिम जल सेतु और इससे लगा हुआ कोई भूमि (निजी सम्पत्ति न होना) इससे लगा हुआ कोई सार्वजनिक टैंक अथवा तालाब और भूमि । (घ) सार्वजनिक मल व्यवस्था, नालियाँ, नालियों का निर्माण, टनल्स और पुलिया और इससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य वस्तुएँ और मल निकासी कार्य; (ङ) गन्दा पानी, कूड़ा करकट और बदबूदार पदार्थ जो गलियों में जमा रहता है अथवा ग्राम परिषद द्वारा गलियों, शौचालयों, मूत्रालयों, मल जल हौदी और अन्य स्थानों से एकत्रित मल (च) सार्वजनिक लैम्प, लैम्प पोस्ट और इससे संलग्न अथवा सम्बन्धित उपकरण (2) सभी मार्केटों और मेलों अथवा इसके समान अन्य कार्य जो सार्वजनिक भूमि पर आयोजित होता है, को ग्राम परिषद द्वारा नियमित किया जाना होगा तथा ग्राम साधारण निकाय, ग्राम परिषद निधि में सभी बकाया उगाही अथवा इसके सम्बन्ध में अधिरोपित राशि प्राप्त करेगी ।	
		36. (1) इस विनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमावली के अधीन ग्राम परिषद निम्न उगाही कर सकेगी – (क) भवन के मालिकों अथवा अभिधारियों से कर; (ख) व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और रोजगार; (ग) गाँव की सीमा के भीतर रखे यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों को छोड़ कर अन्य वाहनों पर कर; (घ) गाँव की सीमा के भीतर पशुधन की बिक्री पर कर; (ङ) थियेटर अथवा प्रदर्शनी पर मनोरजंन कर; (च) प्रकाश कर; (छ) नाली कर; (ज) ग्राम के क्षेत्राधिकार में पूजा स्थानों, मेलों और भोजनालयों में सफाई प्रबन्धन प्रदान करने के लिए शुल्क;	कर जिसे लागू किया जा सकता है